UPHP120002062024

Presented on : 17-01-2024
Registered on : 17-01-2024
Decided on : 16-07-2026
Duration : 2 years, 5 months, 30 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Junior Division
AT Garhmukteshwar,Hapur
(Presided Over by SMT. PARUL KUMARI)
Warrant or Summons Criminal Case/73/2024

सरकार

.....(वादिनी)

बनाम

1. रोहित शर्मा पुत्र सोहनपाल

निवासी मौहल्ला घोसियान, कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश।

.....(अभियुक्त)

वाद संख्या–44/2024

मु.अ.सं.– 359/2023

अंतर्गत धारा– 323, 354, 504 भा.दं.सं.

थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

घटना की तिथि	**अदम परिवाद**
आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	17.01.2024
न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की तिथि	17.01.2024
अभियोग अपराध की धारा	323, 354, 504 भा.दं.सं.
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि	20.06.2024
अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि	14.07.2026
निर्णय तिथि	**16.07.2026**
विचारण का परिणाम	**दोषमुक्त**

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद का विचारण वादिनी मुकदमा काजल पुत्री राजू चौधरी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 359/2023 में धारा– 323, 354, 504 भा.दं.सं. में अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र सोहनपाल के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र सं० 292/2023 प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरम्भ हुआ।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "मैं आर्य साड़ी सलेक्शन में काम करती हूँ। एक लड़का चाय वाला रोहित शर्मा उसने मेरे साथ बत्तमीजी की और मुझे मारा जिस दौरान मैं काम कर रही थी,

गोदाम का सेटर बन्द करके उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मुझे गाली देने लगा, बोलने लगा कि मुझे तेरे से बात करनी है। मैंने बोला, मुझे बात नही करनी सबसे निवेदन है। मुझे इन्साफ दे उसने शराब पी रखी थी और वो नशा भी करता है। कई बार उसने मेरे साथ बत्तमीजी की उसे समझा दिया था फिर भी वो नही माना।"

3. वादिनी मुकदमा काजल पुत्री राजू चौधरी लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा 359/2023, अं०धारा 323, 354, 504 भा.दं.सं. में अभियुक्त रोहित शर्मा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा मौके का नक्शा–नजरी तैयार किया गया एवं गवाहों के बयान अंकित किये गये एवं वाद तमामी विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र सोहनपाल के विरूद्ध आरोप–पत्र सं० 292/2023, अं०धारा 323, 354, 504 भा.दं.सं. में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त उपस्थित आया तथा अभियुक्त ने अपनी जमानत करायी।

5. अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान की गयी तथा अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र सोहनपाल के विरूद्ध धारा– 323, 354, 504 भा.दं.सं. में दिनांक **20.06.2024** को आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया है–

क्रम सं०	**अभियोजन साक्षियों के नाम**	**पी०डब्लू०**	**कागज सं०/नाम**	**प्रदर्श**
1.	काजल पुत्री राजू चौधरी	पी०डब्लू०–1	तहरीर	क–1
2.	अभिषेक पुत्र हरकिशोर	पी०डब्लू०-2		

7. अन्य साक्षियों को उन्मोचित कराने हेतु वादिनी द्वारा अभियोजन अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराते हुए न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायहित में न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर, आरोप–पत्र व नक्शा–नजरी पत्रावली पर दाखिल किया है। अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप–पत्र, नक्शा–नजरी व तहरीर आदि की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

9. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक **14.07.2026** को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया एवं गवाहों द्वारा झूठी गवाही देना कहा तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

10. **अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का

सम्यक अवलोकन किया।

11. प्रश्नगत् मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–323, 354, 504 भा.दं.सं. को **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट ऑफ असम 2008 ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट 2467 व दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2009 (67) ए०सी०सी० सुप्रीम कोर्ट पेज 737** में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करना है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा **काजल पुत्र राजू चौधरी** को बतौर पी०डब्लू० 1 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "आज मैं सम्मन पर न्यायालय पर उपस्थित हूं। घटना दिनांक 09.08.2023 समय करीब शाम छः बजे की है। मैं आर्य साड़ी सेलेक्शन में काम किया करती थी। वहीं पास ही चाय का काम रोहित शर्मा करता था। उसने मेरे साथ गाली–गलौंच करते हुए खींचतान की थी, जिसकी लिखित शिकायत मैंने थाना गढ़ में करके मुकदमा पंजीकृत कराया था। मूल तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। माननीय न्यायालय के समक्ष शीलशुदा धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान उपलब्ध हैं। अभियोजन के मौखिक अनुरोध पर बंद लिफाफा खोला गया। बयान पर गवाह ने अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस की प्रदर्श क–2 डाला गया। मेरा मेडिकल सी.एच.सी. हापुड़ में हुआ था।''

13. अभियुक्त की ओर से उक्त साक्षी से जिरह की गयी। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि "घटना के समय कार्टन खाली जगह फैंकने गयी थी, जहां पर पहले से ही लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा थी, जो आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी धक्का मुक्की कर रहे थे, उसी भीड़ से किस ने मुझे अपशब्द कहते हुए धक्का दिया, सन्तुलन बिगड़ने से मैं नीचे गिर गयी थी, जिससे मुझे चोंटे आयी। रोहित शर्मा वहां नहीं था। रोहित ने न तो मुझे गाली देते हुए मारापीटा, न ही कोई छेड़खानी की। इसका नाम मैंने लोगों के बताये अनुसार लिखा दिया था। पुलिस के बताये अनुसार मैंने कोर्ट में उस दिन बयान दे दिया था। यह कहना सही है कि हमारा आपसी सुलह–समझौता हो गया है, परंतु यह कहना गलत है कि सही बात न बता रही हूं।''

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा **अभिषेक पुत्र हरकिशोर** को बतौर पी०डब्लू० 2 परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "मैं आर्य साड़ी की दुकान में काम किया करता था। दिनांक 09.08.2023 को शाम करीब 06.00 बजे मेरे ही यहां काम करने वाली काजल के साथ मेरे सामने रोहित शर्मा ने न तो मारपीट करते हुए गाली–गलौंच की, न ही छेड़खानी की। मैंने कोई इस प्रकार की घटना नहीं सुनी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।''

15. अभियुक्त की ओर से उक्त साक्षी से जिरह की गयी। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया कि ''मैं आर्य साड़ी में एक साल तक काम किया हूं। काजल ने रोहित शर्मा द्वारा किये गये घटना का कभी जिक्र नहीं किया। भीड़ की धक्का मुक्की में उसे चोंटे आयी थी। आस–पास के लोगों के बताये अनुसार मुकदमा लिखा दिया था। यह कहना गलत है कि झूठी गवाही दे रहा हूं।''

16. अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान

के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी.डब्लू.–01, जो कि उक्त मुकदमे की वादिनी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि **"मैं आर्य साड़ी सेलेक्शन में काम किया करती थी। वहीं पास ही चाय का काम रोहित शर्मा करता था। उसने मेरे साथ गाली–गलौंच करते हुए खींचतान की थी"** जबकि साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि **''रोहित ने न तो मुझे गाली देते हुए मारापीटा, न ही कोई छेड़खानी की।''** पी.डब्लू.–02 ने न तो अपनी मुख्य परीक्षा में, न ही जिरह में घटना का समर्थन किया। उक्त साक्षीगण के बयानों में पूर्णतः विरोधाभास है जो कि मामले को संदिग्ध बनाते है। किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उक्त अभियुक्त द्वारा ही घटना कारित की गयी है।

17. पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना का अन्य कोई ठोस स्वतंत्र साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, परन्तु उपरोक्त साक्ष्य सम्पोषक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, जबकि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत मौलिक साक्ष्य से अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है, मात्र सम्पोषक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन अपना मामला उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त उक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

18. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3678*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह अभियोजन का दायित्व है कि वह अपना केस निश्चितता से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आये संदेह का लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी है।'' माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था ***हरवीर सिंह बनाम शीशपाल एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 4958*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त को दोश सिद्ध करने के लिए सभी तर्कसंगत पूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कसंगत पूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नही बदलता।''

19. उपरोक्त की गयी परिचर्चा तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था 2017 (1) सुप्रीम कोर्ट 129 भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य** में प्रतिपादित सिद्धांत से सुसंगत है। **"It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt".** अतः अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है। निष्कर्षतः अभियुक्त रोहित शर्मा पुत्र सोहनपाल पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–323,

354, 504 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **रोहित शर्मा पुत्र सोहनपाल** निवासी मौहल्ला घोसियान, कस्बा व थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश को **वाद संख्या 44/2024, मु.अ.सं. 359/2023, सरकार बनाम रोहित शर्मा, अंतर्गत धारा–323, 354, 504 भा.दं.सं., थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतनामे तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को अभियुक्त की जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अं०धारा 437 ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुपालन में अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा एवं अभियुक्त इस आशय का 25,000/– रुपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि का एक जमानती दाखिल होगा। यह बन्धपत्र 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक –16.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक –16.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:12:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court